राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 / 557 / 2025 दिनांकः– 20 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञाप

शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिये नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति / सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–I / 88 / 927 / 2025 / 70.2099 / 28 / 2024 दिनांक 17 फरवरी, 2025 (प्रति संलग्न) द्वारा निरीक्षण मण्डल के गठन हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 22 मार्च, 2025 निर्धारित की गयी है।

अतः महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों में प्राप्त अनापत्ति के पश्चात निरीक्षण मण्डल के गठन हेतु दिनांक 22 मार्च, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर पत्रावली विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित समयावधि में विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन किया जा सके।

20/03/25

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।
2. आवेदक प्रबन्धक / प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
3. निजी सचिव मा0 कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ की उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. गार्ड फाइल।

20/03/25

उप कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

संख्या-I/ 88 / 927 /2025/70-2099/28/2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 फरवरी, 2025

विषयः-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1968/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 09.10.2024 एवं संख्या-3261/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 27.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024 एवं 27.12.2024 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्मों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	---
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 24 फरवरी, 2025।
3.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।

Scanned with OKEN Scanner

	जाना।	
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 मार्च, 2025 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 मार्च, 2025 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 30 मार्च, 2025 तक। (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2)तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 30 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 10 अप्रैल, 2025 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3- शासनादेश दिनांक 09.10.2024 एवं 27.12.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri
Date: 17-02-2025 12:55:18
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner